

८१

आदेश.

राजरय अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1887 / XVIII (II) / 2015-18(169) / 2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-111 / XXVIII(7)50(39)-15 / 2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर उनपर पिथौरागढ़, तहसील बंगापानी अन्तर्गत सेराघाट से योना मोटर मार्ग निर्माण में आ रही प्राप्त इनकोट के गैर ज.वि. खतोनी खाता संख्या-09 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर ३७ रकवा 0.100 है 0.386 रकवा 0.360 है 0.388 रकवा 0.240 है 0.390 रकवा 0.120 है 0.474 रकवा 0.085 है 0.475 रकवा 0.010 है 0.477 रकवा 0.210 है 0.478 रकवा 0.060 है 0.480 रकवा 0.075 कुल 09 खेतों की 1.260 है 0 तथा ग्राम-मेल्म के गैर ज.वि. खतोनी खाता संख्या-34 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 7399 रकवा 1.400 है 0.7567 रकवा 0.060 है 0.7569 रकवा 0.050 है 0.7571 रकवा 0.510 है 0.7584 रकवा 0.320 है 0.7586 रकवा 0.280 है 0.7588 रकवा 0.800 है 0 कुल 07 खेतों की 3.420 है 0 इस प्रकार उक्त दो ग्रामों के कुल 16 खेतों की 4.680 है 0 राज्य भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260 / वित्त अनुभाग-3 / 2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा लोक निर्माण अनुभाग-2 के प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2011 के ग्राम में निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हरतान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हरतान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हरतान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से गिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हरतान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हरतान्तरित की जा रही है उससे गिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा दिभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हरतान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त वर्त ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जॉड ए भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी गिराव एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 के रामकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी हारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132 / 2011(एस.एल.पी.) / सी संख्या-3109 / 2011 श्री जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील राख्या-436 / 2011@SLP (C) N0.20203/2007 इारखण्ड राज्य व अन्य वनाग पाकुर जागरण गंव व अन्य में प्रा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य रांगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के विन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की रिप्टि में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहेत राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हरतान्तरण दिनांक प्रियावर ०७, २०१५

गिलासिवगरी,  
पिथौरागढ़।

